पुनश्च:

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0

आरोपी पंकज उर्फ मिर्ची अनु० की ओर से

अधिवक्ता श्री हृदेश शुक्ला उप0।

इसी प्रक्रम पर फरियादी लालसिंह उपस्थित। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री हरीशंकर शुक्ला द्वारा की गयी।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा दप्रस की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमित चाही गयी।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी पर भा0द0स0 की धारा 294, 506 भाग दो के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। भादस की धारा 294, 506 भाग दो न्यायालय की अनुमित से राजीनामा योग्य है। फरियादी लालसिंह ने आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप हैं। अतः बाद विचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

राजीनामे के आधार पर आरोपी पंकज उर्फ मिर्ची को भादस की धारा 294 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी के जमानत व मुचलके भारहीन किए

जाते हैं।

प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को अभिलेखागार भेजा जावे।

> सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी, गोहद